



न्यायालय-विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ0 नि0) अधिनियम,
जौनपुर।

परिवाद संख्या-88/2024

संदीप उर्फ सचिन-----बनाम-----डब्लू एवं अन्य।

दिनांक-10.03.2026

आज पत्रावली पेश हुयी। बार-बार पुकार कराने एवं इंतजार के बावजूद भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान हेतु नियत चल रही है। विगत तिथियों पर परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है, तथा आज भी सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद पर बल देने में परिवादी की कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवाद को अग्रेतर लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

जे0ओ0 कोड- यू0पी0 6509